न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (खैरथल-

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
17-2-25	वकील पक्षकारान उप0। बहस प्रा0पत्र धारा 212 रा0अ0 सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25-2-25 को पेश हो।
25-2-25	उभयपक्ष उप0। बहस प्रा0पत्र सुनी गई। बहस में पक्षकारान द्वारा प्रा0पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपना अपना पक्ष रखा गया। पत्रावली का अध्ययन किया बहस पर मनन किया। मुल्तदावा तकासमा एवं निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2075-77 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है जिसमें पक्षकारान भिन्न-भिन्न हिस्सों के खातेदार के रूप में अंकित है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कथन/दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि आराजी का पूर्व में विभाजन हो चुका है अथवा कब्जे का विभाजन को लेकर कोई सहमति नहीं किया है। उभयपक्षकारान के बीच कोई सहमति बनी हो। हस्तगत वाद चूंकि विभाजन से संबंधित है। अतः दौराने दावा विभाजन प्रक्रिया के मध्य कोई वाद कारण नहीं बने इस बाबत उभय पक्षकारान को दौराने दावा ता फैसला विवादित आराजी संबंध में अपने-अपने हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने बाबत ता फैसला स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। [signature]